

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस। सर्व साधारण को और विशेष रूप से ऋणियों/जमानतदारों को विशेषतः यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक/प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रसारित है, का अधिग्रहण रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक रूप से पंजाब नेशनल बैंक प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, जो "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" को नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि, ऋणियों/जमानतदारों से पंजाब नेशनल बैंक, प्रतिभूत लेनदार की बकाया ऋण राशि की वसूली हेतु बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य, अंतिम राशि (घरोहर राशि) संबंधित संपत्ति के आगे नीचे दी गई तालिका में वर्णित है।

ई-नीलामी की दिनांक एवं समय: 01.06.2026, प्रातः 11:00 से सायं 04:00 बजे तक (ईएमडी जमा की अंतिम दिनांक 31.05.2026 सायं 05:00 बजे तक)

प्रतिभूत आस्ति की अनुसूची

लॉट	शाखा कार्यालय	बंधक सम्पत्ति का विवरण (बंधककर्ता का नाम)	(ए) 13(2) नोटिस की दिनांक	(ए) आरक्षित मूल्य (रु. में लाख)	प्रतिभूत लेनदार को ज्ञात भार का विवरण
	खाते का नाम		(बी) बकाया ऋण राशि दिनांक तक	(बी) घरोहर राशि (ईएमडी) अंतिम दिनांक	
नं.	ऋणियों/जमानतदारों का नाम व पता		(सी) कब्जा दिनांक	(सी) कब्जा का प्रकार	
			(डी) सांकेतिक	(डी) सांकेतिक	
1	पीएनबी- धौलपुर कलेक्ट्रेट (राज.) श्री चंद्रेश माथुर पुत्र स्व. श्री कालीचरण पता: मोहल्ला शेखपाड़ा, ऑलंड सिटी धौलपुर	आवासीय सम्पत्ति के सभी अंश व हिस्से जिसमें साम्यिक बंधक मकान जो मोहल्ला शेखपाड़ा, ऑलंड सिटी, धौलपुर में स्थित, जिसका क्षेत्रफल 353.99 वर्गगज (3185.45 वर्गफुट) है जो श्री चंद्रेश माथुर पुत्र स्वर्गीय श्री कालीचरण के नाम से है।	ए) 19.08.2025 बी) रु. 811254.65 सी) 21.10.2025 डी) सांकेतिक	ए) रुपये 32.22 लाख बी) रुपये 3.22 लाख (ईएमडी जमा अंतिम दिनांक 31.05.2026) सी) रुपये 10000/-	ज्ञात नहीं
2	पीएनबी- सपोटरा करौली (राज.) मैसर्स अभियंके कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रोप. शिवराज मीणा पुत्र लोहरे मीणा निवासी- गांव-गज्जूपुरा, तहसील सपोटरा, जिला-करौली (राज.) 322234	1. व्यावसायिक संपत्ति जो गांव खवदा, तहसील सपोटरा, जिला करौली में स्थित है क्षेत्रफल 1200 वर्गफुट, दिनांक 24.03.2014 को पट्टा नं. 341, संकल्प नं. 23, सीमाएं- उत्तर: किन्दूरी मीणा की भूमि, दक्षिण: रास्ता, पूर्व: कम्प्रेसर मशीन, पश्चिम: शिव प्रसाद महाजन की दुकान। 2. व्यावसायिक संपत्ति जो गांव खवदा, तहसील सपोटरा, जिला करौली में स्थित है क्षेत्रफल 2400 वर्गफुट, दिनांक 24.03.2014 को पट्टा नं. 240, संकल्प नं. 24, सीमाएं- उत्तर: किन्दूरी मीणा की भूमि, दक्षिण: मेन रोड टाटवाड़ा, पूर्व: शिव प्रसाद महाजन की दुकान, पश्चिम: कनाल।	ए) 15.07.2021 बी) रु. 16.53 लाख + आगे का ब्याज। सी) 24.11.2021 डी) सांकेतिक	ए) रुपये 3.69 लाख बी) रुपये 36900 (ईएमडी जमा अंतिम दिनांक 31.05.2026) सी) रुपये 5000/- ए) रुपये 7.25 लाख बी) रुपये 72500/- (ईएमडी जमा अंतिम दिनांक 31.05.2026) सी) रुपये 5000/-	ज्ञात नहीं

शर्तें व निबन्धन— 1. विक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निम्नलिखित शर्तों और निबन्धनों के अधीन होगी। 2. संपत्ति को "जो जहाँ है, जो जैसा है, और जो कुछ भी है" के रूप में बेचा जाएगा। 3. इस अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्ति के विवरण को प्राथिकृत अधिकारी की प्राप्त पूर्ण जानकारी के अनुसार ही प्रतिभूत आस्तियों को उपर दिखाई गई तालिका के अनुसार बेचा जाएगा, लेकिन प्राथिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत कथन या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 4. उपरोक्त विक्री वेबसाइट <https://baananknet.com> पर दिनांक 01.06.2026 को ई नीलामी के माध्यम से प्राथिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी। 5. विक्रय की विस्तृत जानकारी हेतु व निबन्धन और शर्तों के लिए कृपया <https://baananknet.com> एवं <https://pnb.bank.in> देखें।

**सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के
अंतिम विक्रय की 15 दिवस वैधानिक सूचना**

प्राधिकृत अधिकारी
पंजाब नेशनल बैंक, प्रतिभूति लेनदार

दिनांक 12.05.2026 स्थान: भरतपुर